सहित कृषि एवं संबंधित सेक्टरों के लिये योजना परिव्यय 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 15360.85 करोड़ रुपये और 18855.69 करोड़ रुपये था।

बंधुआ बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए कानून/कार्यक्रम बनाना

*102. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ/बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिये कोई कानून/कार्यक्रम बनाये हैं या बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या सरकार इनमें यह भी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति संस्था/कम्पनी को दंडित किया जाय और उनका पंजीकरण रद्द किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा :) (क) से (घ) सरकार ने बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है और बंधित श्रम प्रथा को समाप्त कर दिया है, जिसमें वयस्क और बालक दोनों ही प्रकार के बंधुआ श्रमिक शामिल हैं। सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को बराबर-बराबर (50:50) आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 1978–79 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को भी कार्यान्वित करती आ रही है।

इस अधिनियम में पूरे देश में बंधित श्रम प्रथा को समाप्त करने और इस प्रथा को कानून के अन्तर्गत दंडनीय संज्ञेय अपराध का प्रावधान किया गया है। इससे सभी बंधुआ मजदूरों के ऋण का समापन होने के साथ-साथ उन्हें एकपक्षीय रूप से दासता से मुक्त कर दिया है। सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अत्यन्त तत्परता से कार्रवाई करने के साथ पहचान किये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसकी प्रगति को गहनता से मानीटर किया जाता है। 3–3–93 की स्थिति के अनुसार पहचान किये गये तथा मुक्त कराये गये 2,51,424 मजदूरों में से केवल लगभग 6000 बंधुआ मजदूरों को अभी पुनर्वासित किया जाना है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को 38.56 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है तथा राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना को आठवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है।

बंधित श्रम प्रथा के मामले में 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रु0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर संस्थाओं/कम्पनियों का पंजीकरण रद्द करने हेतु कोई प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Imposition of restrictions on imports by us Congress

*105. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the move by the US congress to impose restrictions on the import of goods produced in the developing countries including India;

(b) if so, what are the implications so far as Indo-US trade is concerned

and its overall impact on the export of Indian goods to US; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Import of superior coal

*104. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Unstarred Questions 4278, 5271, and 6242 given in the Rajya Sabha on 25th April, 1994, 2nd May, 1994 and 9th May, 1994 respectively,, and state:

(a) what was the total quantity of 'A' grade coal imported last year;

(b) whether it is possible to manufacture it indigenously; and

(c) if so, what steps Government are taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The Directorate General of Foreign Trade have reported that they do not maintain grade-wise data on imports of coal. However, total quantity of various type of coal imported in the country during the year 1993-94 is as under:

(Data provisional)

Non-cooking coal—0.57 million tonnes

(including coke

semi coke, etc.)

Coking coal — 6.82 million tonnes

(b) and (c) Production of 'A' grade non-coking coal in the country has been gradually going up. In order to accelerate production of superior grades of non coking coal, including 'A' grade coal, special efforts are being made for increasing underground production by introduction of modern mining technology, mechanisation and improving power supply to the mines.

बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्यात

*105. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो बाल मजदूरों द्वारा निर्मित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग की गई है कि भारत तथा अन्य विकासशील देशों के बाल मजदूरों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग से सहमत है और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार रखती है और क्या सरकार प्रस्तावित उपायों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से लागू करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत में औद्योगिक क्षेत्र में जिन उद्योगों में बाल-श्रमिक मुख्य रूप से लगे हुए हैं, वे हैं कालीन-बुनाई रत्नों पर पालिश, पॉटरी, माचिस बनाना, ताला बनाना, तथा पीतल के सामान से संबंधित उद्योग । निर्यात में बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के अंश के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

इस समय संयुक्त राज्य अमरीका की कांग्रेस में ऐसे दो विधेयक विचाराधीन हैं जिनमें पूरी तरह या अंशत: बाल-श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के संयुक्त राज्य अमरीका में आयात पर रोक लगाने की